न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायालय–सह–विशेष न्यायालय,सीवान।

अग्रिम जमानत आवेदन सं. 2152/2019

03.01.2020 दरौली थाना कांड सं. 116/2019 अंतर्गत धारा 341,323,337,338, 354,379,504,506/34 भा.दं. वि. एवं धारा 3(i),r,s,w(i) अनु.जा.ज.जा.(अ.उ.) अधिनियम में गिरफ्तारी के भय से अभियुक्त प्रदीप कुमार कुशवाहा,शिवधारी कुशवाहा एवं धीरज कुशवाहा की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर इनके विद्वान अधिवक्ता श्री जय प्रकाश कुशवाहा एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री भागवत राम को सुना एवं अभिलेख तथा कांड दैनिकी का अवलोकन किया।

प्राथमिकी के अनुसार सूचिका सरस्वती देवी का मुख्य रूप से आरोप है कि दिनांक 18.07.2019 को शाम 4 बजे इनकी चचेरी पतोहू सुनिता देवी शौच के लिए खेत के तरफ जा रही थी तभी रास्ते में इनके पड़ोसी प्रदीप कुमार कुशवाहा जबर्दस्ती उसका हाथ पकड़कर गन्दा–गन्दा व्यवहार करने लगे। सुनिता देवी घर आकर सारी बात बतायी तो सूचिका अभियुक्तों के घर पूछने गयी और शिवधारी कुशवाहा एवं धीरज कुशवाहा से पूछताछ की तो सभी जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए लाठी डण्डा लात से पीटकर बुरी तरह जख्मी कर दिये तब दिनांक 19.07.2019 को दरौली अस्पताल जाकर इलाज कराया। अभियुक्तगण गले से सोने का मंगलसूत्र भी छिन लिये। सूचिका ने मुकदमा दर्ज करने में विलम्ब का कारण इलाज कराना बताया है।

आवेदक अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं। इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। इनका यह भी तर्क है कि प्राथमिकी से अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 354,379 भा.दं.वि. अथवा विशेष अधिनियम का आरोप नहीं बनता है। इनका यह भी तर्क है कि आवेदक अभियुक्त शिवधारी कुशवाहा 60 वर्षीय वृद्ध एवं धीरज कुशवाहा विद्यार्थी है जो घटना के समय पटना में थे। इनका यह भी तर्क है कि कांड की घटना तिथि दिनांक 18.07.2019 बतायी गयी है परन्तु घटना की प्राथमिकी दिनांक 23.07.2019 को दर्ज करायी गयी है इस तरह प्राथमिकी दर्ज कराने में काफी विलम्ब कारित किया गया है। इनका यह भी तर्क है कि कांड दैनिकी में संलग्न जख्म प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि पुलिस द्व ारा दिनांक 19.07.2019 को जख्मी का इलाज कराने सम्बंधी जख्म प्रतिवेदन संलग्न है जब कि कांड की प्राथमिकी हीं उसके बाद दिनांक 23.07.2019 को दर्ज करायी गयी है जिससे भी यह मामला संदेहास्पद हो जाता है। इनका यह भी तर्क है कि जिस तरह की घटना बतायी गयी है वैसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। इन्हें झूठा फॅसाया गया है। इस तरह इन्हें अग्रिम जमानत का लाभ देने की प्रार्थना की गयी।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा तर्क प्रस्तुत किया गया कि यह तथ्य सही है कि दरौली थाना के अनुसंधानक के

जख्मी के इलाज हेतु दिये गये आवेदन में दिनांक 19.07.2019 तिथि अंकित है जब कि प्राथमिकी दिनांक 23.07.2019 को दर्ज की गयी है परन्तु अनुसंधान के दौरान कांड दैनिकी की कंडिका 2 में सूचिका द्वारा दिये गये अपने पुनः वयान में एवं कंडिका 5,6,7 में साक्षियों ने भी अभियुक्तों द्वारा जातिसूचक गाली गलौज करने एवं छेड़खानी करने तथा मारपीट की घटना के समर्थन में वयान दिया है तथा कांड दैनिकी में संलग्न जख्म प्रतिवेदन से मारपीट की घटना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में इनका यह भी तर्क है कि दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन विशेष अधिनियम की धारा 18 से बाधित होने के कारण पोषणीय नहीं है। अतः इसे खारिज करने की प्रार्थना की गयी है।

उपरोक्त तर्को,तथ्यों,परिस्थितियों, आवेदक अभियुक्तों के प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त होने तथा इनके विरूद्धं अनुसूचित जनजाति के महिला सदस्य के साथ छेड़खानी करने एवं विरोध करने पर जातिसूचक गाली गलौज कर मारपीट किये जाने के आरोप एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के इस तर्क कि आवेदक अभियुक्तों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन विशेष अधिनियम की धारा 18 से बाधित होने के कारण पोषणीय नहीं हैके आलोक में उपरोक्त तीनों आवेदक अभियुक्तों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

लेखापित

ह0/—

विशेष न्यायाधीश,सीवान।